



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



मात्र 12 घण्टे के अन्दर गैर-इरादतन हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना सैफई पुलिस द्वारा गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.01.2025 को वादी विजय कुमार पुत्र होशियार सिंह निवासी ग्राम नगला गडरिया थाना सैफई जनपद इटावा द्वारा थाना सैफई पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि वादी का भाई वीरेन्द्र सिंह जो नशे का आदी है एवं नशे में आकार उसने गाँव के ही विश्राम सिंह एवं उसके बेटे सिन्टू को गन्दी गन्दी गालियाँ दी जिससे सिन्टू को गुस्सा आ गया और उसने ईंट उठाकर फेंक कर मार दी जिससे वीरेन्द्र सिंह घायल हो गया जिसकी पीजीआई सैफई में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। सूचना पर तत्काल थाना सैफई पर **मु0अ0सं0 13/2025 धारा 105 बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाछिंत/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 01.02.2025 को थाना सैफई पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 13/2025 से सम्बन्धित अभियुक्त सिन्टू पुत्र विश्राम सिंह को नगला बरी तिराहे के पास से समय 08.20 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सिन्टू पुत्र विश्राम सिंह निवासी ग्राम नगला गडरिया थाना सैफई जनपद इटावा उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 13/2025 धारा 105 बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा।

पुलिस टीम- निरी0 श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी थाना सैफई मय टीम।